न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–03/2018 दायर दिनाँक 12.06.2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मकतूलसिंह पुत्र स्व. उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. लिछमादेवी पुत्री नारायणराम 2. रामनिवास पुत्र जवानाराम समस्त जाति जाट निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 3. धन्नाराम पुत्र लादुराम फौत 3/1 भंवराराम पुत्र स्व.धन्नाराम 3/2 श्रवणराम पुत्र स्व.धन्नाराम 3/3 दीनाराम पुत्र स्व.धन्नाराम 3/4 भागीरथ पुत्र स्व.धन्नाराम 3/5 बाजूदेवी पत्नी स्व. धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी डसांणा –कंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 4. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री समदरसिंह वकील प्रार्थी।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 03.12.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना ... है कि ... खसरा सं0 577/171 रकबा 16 बीघा ... ग्राम बेगसर पटवार ... बेगसर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बेगसर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की प्रार्थी की खातेदारी सुदा... है उक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 577/171 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/2021/785 दिनांक 22.09.2021 के अनुसार आवेदक के खेत खसरा सं0 577/171 रकबा 16 बीघा में जो खातेदारी का खेत है के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतुं रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा सं0 577/171 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 170 के उत्तरी–दक्षिणी दिशा में अवस्थित है तथा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नक्शे में दर्शित मार्क A से B सबसे नजदीक रास्ता है जिसकी लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 50X20 फ़ीट कुल 1000 वर्ग फुट का रास्ता बनता है ।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 170 की उत्तरी दक्षिणी सिंव मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 577/171 रकबा 16 बीघा वाकै सरहद बेगसर में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/785 दिनांक 22.0[illegible] में [illegible] प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 170 वाके सरहद बेगसर में द[illegible] मार्क [illegible] से B कुल 1000 वर्ग फुट रास्ता की भूमि [illegible] की जाती है। [illegible] डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल [illegible] से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान [illegible]ल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/785 दिनांक 22.09.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **03.12.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner